भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2492
10 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

बुल ट्रॉलिंग और एलईडी फिशिंग

2492. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मालपे से मछली पकड़ने वाली नौकाएं गोवा के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं और अवैध रूप से मछली पकड़ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) दूसरे राज्यों के जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने वाली किसी राज्य की फिशिंग नौकाओं के विरुद्ध की गई- कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बुल ट्रॉलर और एलईडी फिशिंग समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रही है और यह मछली पकड़ने में कमी का एक कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) भारतीय समुद्री क्षेत्र में बुल ट्रॉलिंग और एलईडी मछली पकड़ने की प्रवृत्ति के विरुद्ध की गई-कार्रवाई अथवा की- गई-कार्रवाई की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार को भारतीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले चीन के फिशिंग ट्रॉलरों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): जी हाँ, कर्नाटक सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गोवा सरकार ने यह रिपोर्ट किया है कि कर्नाटक राज्य से फिशिंग बोट्स के अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए गोवा राज्य के जलक्षेत्र में प्रवेश करने की घटनाएँ हुईं हैं । गोवा सरकार ने कार्रवाई की है और गोवा राज्य के जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने वाली अन्य राज्यों की फिशिंग बोट्स के विरुद्ध 10 मामले दर्ज किए हैं और 2022-2024 के दौरान 14,80,976 रुपए का जुर्माना लगाया है।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र / एक्सक्लूसिव इकोनोमिक ज़ोन (ईईजेड) में मछली पकड़ने के लिए बुल या पेयर ट्रॉलिंग और आर्टिफ़िश्यल लाइटस या एलईडी लाइट के उपयोग जैसे हानिकारक मछली पकड़ने के तरीकों पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली अस्थिर मात्स्यिकी प्रथाओं को रोका जा सके। सभी समुद्र तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई है कि वे प्रादेशिक जल (टेरिटोरियल वाटर्स) के भीतर बुल या पेयर ट्रॉलिंग और मछली पकड़ने के लिए एलईडी लाइट के उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ । समुद्र तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई है कि वे आवश्यक सरकारी आदेश (जीओ) जारी करें जिसके द्वारा प्रादेशिक जल के भीतर मछली पकड़ने के लिए पेयर/बुल ट्रालिंग, आर्टिफ़िश्यल लाइटस/एलईडी लाइट के उपयोग सहित विनाशकारी मत्स्यन तरीकों पर रोक लगाई जाए, (ii) सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वाले फिशिंग वेसल्स के पंजीकरण/लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित करें, (iii) बार-बार उल्लंघन करने पर ऐसे फिशिंग वेसल्स का पंजीकरण/लाइसेंस रद्द करें और (iv) ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के बारे में तटरक्षक और अन्य समुद्री प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित करने के लिए आवश्यक सरकारी आदेश (जीओ) जारी करें, जिसमें उन फिशिंग वेसेल्स के संचालन को रोकने के निर्देश दिए गए हों।

(ङ): भारतीय जलक्षेत्र में चीनी फिशिंग ट्रोलर्स द्वारा फिशिंग की कोई रिपोर्ट नहीं है।

*****